

क्रमांक सं-4340 दिनांक 18.03.2020
की पालना में कसौदा वादों की रोकथाम
हेतु न्यायालय का कार्यवाही स्थगित रखी-
गई। पत्रावली आरंभ दिनांक 08/12/2020
को पेश हो।

(Signature)

08/12/20 पत्रावली प्रस्तुत। वकील साथी उपर/अपराधी
सं- + व 2 को नोटिस की सम्पत्त वकील
हो चुकी है। उम्त के वापस अपराधी सं- + व
2 उपर नही। अतः उम्त अपराधीगण के विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही की जा रही है एवं प्रथम
दृष्ट्या सुविधा का सौलभ्य साथी के
पक्ष में पाये जाते हैं। अतः विवादित
भूमि - एक 68/2 जीबी तहसील अनूपगढ़
का मुरख नं.- 01 प्लॉट सं- 273/440
के किला नम्बर 1312 का 0.114, 14 का 19
सालान प्रत्येक 20 का 0.228, 21 का 0.228,
22 का 25 प्रत्येक सालान कुल 3.100 हेक्टर
वृत्ति भूमि पर साथी के कब्जे की विवादित
भूमि की काश्त में किसी प्रकार की दखल
-दांजी न करने का बंधन वाद के निष्ठाप्य
तक अपराधी निषेधाज्ञा जारी की जा रही
है। पत्रावली इसी के साथ निर्णय सुमा
होकर नम्बर ले का है।

निर्णय आज दिनांक 08/12/20 को छुले
न्यायालय में सुनाया गया। *(Signature)*

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

